

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 1604/11सी-UP/113/2015 दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 4/2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक(के0)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य),
केन्द्रीय भवन, प्रथम तल,
सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

विषय- जनपद-लखनऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 किमी0 489 से 493 तक मड़ियाव से नवीन गल्ला मण्डी तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में 1.11 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 63 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपके कार्यालय की पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/38/2015/एफ0सी0/939, दिनांक 21.10.15

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में की गई आपत्तियों का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रायोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्ताव की मूल प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक-यथोक्त (मूल प्रस्ताव)।

भददीय

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या-1004/ दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ।

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।